राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 479/2024 — निर्णय दिनांक 30.6.25

उनवानः

1. साधूसिंह उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

............वादी

बनाम

1. अजयालसिंह पुत्र घीसासिंह
2. हेमलता पत्नी श्री श्यामसिंह
3. किशनसिंह पुत्र शहजादसिंह
4. धर्मसिंह पुत्र संम्पतसिंह
5. बृजपालसिंह पुत्र सम्पतसिंह
6. भरतसिंह पुत्र श्यामसिंह
7. भावेशसिंह पुत्र श्यामसिंह
8. मनोजसिंह पुत्र कल्लूसिंह
9. लालसिंह पुत्र घीसासिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
11. लैण्डहोल्डर जरिय तहसीलदार साहब नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
12. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गूगलकोटा जरिये शाखा प्रबन्धक
13. पंजाब सनेशनल बैंक शाखा शाहजहांपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
14. बडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहजहॉपु जरिये शाखा प्रबन्धक
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहजहापुर जरिये शाखा प्रबन्धक

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 अरी0टी0एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9,10,11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

1. श्री मुकेश सिंह सिरोहीवाल योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4 व 5 की ओर से।

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9,10,11 व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया कि वादी असामाजिक व्यक्ति होने के कसाथ–साथ झगडालू एवं मुकदमे बाज व्यक्ति है जो किसीभी प्रकार के निर्णय, समझौते एवं बंटवारे को नहीं मानता है तथा आये दिन बिना किसी विवाद के मुकदमे दायर कर प्रार्थी, परिवार एवं गांव समाज के लौ को तंग परेशान करता रहता है उपरौक्त अनुवानी प्रकरण भी न्यायालय श्रीमान् को गुमराह कर मिथ्या तथ्यो एवं कहानी के आधार पर प्रस्तुत किया है वास्तविकता यह है कि आराजी मुतनाजा से संबंधित वाद, वादी ने न्यायालय श्रीमान् एवं अन्य अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एवं निणित हो चुके है फिर भी वादी अपनी असामाजिकता एवं हठधर्मिता के कारण अनायास ही प्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए यह दावा पेश किया गया है। आराजी मुतनाजा क संबंध मे पुर्व मे एक दावा सन् 2012 मे ए.सी.एम.साहब बहरोड के समक्ष साधूसिंह बनाम कृष्णसिंह के नाम से प्रस्तुत किया इसके पश्चात सन् 2019 मे श्रीमान् के

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

समक्ष साधूसिंह बनाम किशनसिंह के नाम से प्रस्तुत किया जिसमे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पी.डी. जारी कर कूर्रे कायम किया जा चुका है इनके अलावा एक अपील श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष साधूसिंह बनाम किशनसिंह के नाम से विचाराधीन है। दिनांक 09.06.2024 को समाज के गणमान्य व्यक्तियो की मौजूदगी मे ग्राम पंचायत गूगलकोटा के समक्ष पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो चुका जिस पर साधूसिंह एवं उसके लडके के हस्ताक्षर होने के पश्चात भी से मानने से वादी ने इन्कार कर दिया गया। इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण वादी के वाद पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के सभी तथ्यो को को इन्कार करते हुऐ जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर, प्रकरण को लम्बा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से को तकसीम करवाने बावत पेश किया गया है। सहायक कलक्टर बहरोड के समक्ष दावा पेश किया था जो अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है तथा सन् 2019 मे पेश किया गया दावा मे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पी.डी. जारी की हुई है लेकिन खसरा नम्बर 1607,1608,1609 वाके ग्राम गूगलकोटा गांव की आबादी के नजदीक होने के कारण उनको आवासीय प्रयोजन के लिए लोगो को बेचान किये जा चुके है जिनके मौके पर खरीदारो द्वारा मकान बनाकर रिहायश कर रखी है। लेकिर राजस्व रिकार्ड मे हमारा नाम दर्ज है। बल्कि मौके पर कब्जा नही है । इसलिए पुर्व मे जारी पी. डी. की पालना मे भूमि का बंटवारा नही किया जा सकता है। इसलिए मिन वादी द्वारा खसरा नम्बर 1607,1608,1609 को छोडकर शेष खसरा नम्बरान मे अपने खातेदारी हिस्से का विभाजन करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जो दावा किसी प्रकार से भी धारा 7 नियम 11 जा0दी0 मे नही आता है तथा दावा साक्ष्य सबूत के आधार पर मैरिट पर निर्णय होने योग्य है।

उभय पक्षकार के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुऐ कथन किया कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान की बाबत वादी द्वारा सन् 2019 मे दावा उनवान साधूसिंह बनाम किशनसिंह वगै0 पेश किया गया था जिसमे यही पक्षकार है जिसमे न्यायालय श्रीमान् द्वारा पी.डी. जारी की हुई है। जिसके विरूद्ध वादी अपील न्यायालय अपील दायर कर रखी है और अब उन्ही खसरा नम्बरान व पक्षकारान के विरूद्ध यह दावा वास्तविकता को छुपाते हुऐ पुर्व मे चले मुकदमा को छुपाते हुऐ पुनः पेश कर दिया गया। इसलिए वादी का वादी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आना साबित होने के कारण, वादी का वाद खारिज होने योग्य है तथा अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

वकील वादी द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ तर्क दिये कि वादी द्वारा पुर्व मे पेश किये गये दावो व इस दावा मे खसरा नम्बर अलग है। पुर्व के दावा मे खसरा नम्बर 1607,1608,1609 अंकित है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान पर पुख्ता आबादी बसी हुई है इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की कुर्रे रिपोर्ट तैयार किया जाना असम्भव है। इसलिए उक्त खसरा नम्बरान को छोडकर यह नया दावा पेश किया गया है जो दावा पूर्ण सूनवाई के बाद निर्णय होने योग्य है। इसलिए प्रार्थीगण/प्रति0 सं0 4 व 5 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है तथा वकील वादी द्वारा भी अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे लिखित बहस प्रस्तुत की गई है।

हमने उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा इस न्यायालय मे राजस्व वाद सं0 1786/2015 उनवान साधुसिंह बनाम किशनसिंह वगै0 पेश किया गया जिसमे इस

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है। जिस निर्णय के विरूद्ध स्वंय वादी द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील सं0 194/2019 उनवान साधुसिंह बनाम किशनसिंह वगै0 पेश की हुई है जो अपील वर्तमान समय मे लम्बित है। वादी द्वारा पेश राजस्व वाद सं0 1786/2015 एवं मौजूदा वाद मे खसरा नम्बर 743, 748, 749, 865, 866, 1584, 2119, 581, 967, 968/2273 को छोडकर शेष सभी खसरा नम्बरान की इस न्यायालय द्वारा पी.डी. दिनांक 25.11.2019 को जारी की जा चुकी है। इसलिए पुर्व मे पेश दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान की बाबत पुनः इसी न्यायालय मे वाद नही चल सकता है। लेकिन वादी द्वारा पुर्व मे पेश दावा के खसरा नम्बरो को भी इस दावा मे शामिल कर यह पुनः दावा पेश किया गया है। और वादी द्वारा आराजी मुतनाजा की बाबत पुर्व मे पेश किये गये दावो का इस दावा मे कोई वर्णन भी नही किया गया है। सभी दावो मे वाद कारण पैदा होने की तारीखे भी अलग–अलग अंकित की गई है तथा वादी द्वारा पुर्व मे पेश दावो का कोई जिक्र भी नही किया गया है इसलिए वादी द्वारा मौजूदा वाद तथ्यो को छुपाते हुऐ पेश किया गया है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण वाद वादी, खारीज होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादी द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दफतर दाखिल हो

निर्णय आज दिनांक 30.4.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या

479/2024

निर्णय दिनांक 30-6-25

उनवान:

1. साधूसिंह उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री सम्पतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादी

बनाम

1. अजयालसिंह पुत्र घीसासिंह
2. हेमलता पत्नी श्री श्यामसिंह
3. किशनसिंह पुत्र शहजादसिंह
4. धर्मसिंह पुत्र सम्पतसिंह
5. बृजपालसिंह पुत्र सम्पतसिंह
6. भरतसिंह पुत्र श्यामसिंह
7. भावेशसिंह पुत्र श्यामसिंह
8. मनोजसिंह पुत्र कल्लूसिंह
9. लालसिंह पुत्र घीसासिंह सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
10. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
11. लैण्डहोल्डर जरिय तहसीलदार साहब नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
12. पंजाव नेशनल बैंक शाखा गूगलकोटा जरिये शाखा प्रबन्धक
13. पंजाव सनेशनल बैंक शाखा शाहजहांपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
14. वडौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शाहजहॉपु जरिये शाखा प्रबन्धक
15. भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहजहापुर जरिये शाखा प्रबन्धक

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 अरी0टी0एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9,10,11 व आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

1. श्री मुकेश सिंह सिरोहीवाल योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री राजेन्द्रसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4 व 5 की ओर से।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादी द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवागी "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे ।

पर्चा आज दिनांक 30.6.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)